



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

विज्ञापन

राज्य कार्यालय, केवीआईसी, अंबाला, हरियाणा से व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), गैर सरकारी संगठनों और अन्य पात्र संस्थाओं से केवीआईसी की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नीचे दिए गए अनुसार आवेदन आमंत्रित करता है:-

क्र.स.	योजना	टिप्पणी
ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) सब्सिडी दर पर प्रशिक्षण एवं टूलकिट		
1.	डब्ल्यूसीआई (अगरबत्ती निर्माण (स्वचालित))	लाभार्थियों को GVV टूलकिट के लिए निम्नलिखित अनुसार भुगतान करना आवश्यक है । बीपीएल श्रेणी: कोई भुगतान आवश्यक नहीं (100% सब्सिडी) । एससी/एसटी श्रेणी: टूलकिट की कुल लागत का 10% । सामान्य श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी: टूलकिट की कुल लागत का 20% ।
2.	एचएमपीएफआई (दोना पत्तल निर्माण)	
3.	एफबीआई (शहद मधुमक्खी पालन)	
4.(a)	रेन्टी (अपशिष्ट लकड़ी)	
4.(b)	रेन्टी (टर्नबुड)	
5.	एमबीआई (मिट्टी के बर्तन बनाना - इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील)	आपकी सभी जरूरतें एक ही जगह पर ! योजनाओ के विस्तृत दिशा-निर्देशों और आवेदन दस्तावेजों के लिए QR कोड स्कैन करें Scan the given QR code to access detailed guidelines and all necessary application documents.
6.(a)	पीसीबीआई (फुटवियर विनिर्माण और टूल किट)	
6.(b)	पीसीबीआई (फुटवियर रिपेयरिंग टूल किट)	
7.	एसआई (इलेक्ट्रीशियन)	
8.	एसआई (सिलाई मशीन)	
		



खादी विकास योजना (केवीवाई)

9.(a)	सूचीबद्ध खादी संस्थाओं से वर्कशेड, खादी सेल्स आउटलेट रेनोवेशन और SIEWKI वर्कशेड के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं (व्यक्तिगत रु. 1,20,000/कारीगर, समूह रु. 80,000/कारीगर)। बिक्री आउटलेट नवीनीकरण 25 लाख तक। मौजूदा कमजोर खादी संस्थान (एसआईईडब्ल्यूकेआई) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना अधिकतम 15 लाख रुपये।	
9.(b)	ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हरियाणा राज्य में नई खादी संस्था का नामांकन/पंजीकरण https://kviconline.gov.in/mdaclaims/certKhadi/khadiCertificateRenew.jsp?app=1	

व्यावसायिक प्रशिक्षण सहयोगी (PTA)

10.	केवीआईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने संचालित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सहयोगियों (पीटीए) से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।	
11.	उपरोक्त जी.वी.वाई. कार्यक्रमों के लिए मास्टर ट्रेनर (ओं) के लिए प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।	
12.	राज्य मधुमक्खी पालन विस्तार केंद्र, (एसबीईसी) अंबाला में मधुमक्खी पालक (वेतन रु.15,000/माह) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तथा फूलों के मौसम के अनुसार मधुमक्खियों के छत्तों को उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने/ रखरखाव के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।	
13.	एसबीईसी, राज्य कार्यालय, केवीआईसी अंबाला कैंट में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।	

केवीवाई/जीवीवाई/पीटीए के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 21 दिन बाद शाम 5 बजे तक है।

प्रधान मंत्री रोजगार सजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

14.	विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रथम ऋण (50 लाख रुपये तक) 35% तक सब्सिडी। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत पहला ऋण (20 लाख रुपये तक) 35% तक सब्सिडी।	
15.	विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरा ऋण (1 करोड़ रुपये तक) 15% तक सब्सिडी। सेवा क्षेत्र के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरा ऋण (25 लाख रुपये तक) 15% तक सब्सिडी।	

पीएमईजीपी के तहत ऋण आवेदन के लिए www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp/ पर जाएं।

महत्वपूर्ण निर्देश:

- उपरोक्त विवरण केवल सांकेतिक हैं और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए www.kvic.gov.in पर जा सकते हैं और आवेदन प्रारूप/किसी भी स्पष्टीकरण के लिए soambala.kvic@gov.in पर मेल कर सकते हैं।
- केवीआईसी किसी भी डाक कूरियर देरी या पारगमन में नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन या किसी भी तरह से अपूर्ण आवेदन को बिना किसी और सूचना या पत्राचार के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- उपरोक्त लक्ष्य निधि की स्वीकृति/प्राप्ति के अधीन है और केवीआईसी का निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा तय दिशा-निर्देशों/तरीकों के अनुसार अंतिम है।
- विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ, निर्धारित समय के भीतर डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से निदेशक, राज्य कार्यालय, केवीआईसी अंबाला, 10.3-ए, द मॉल, अंबाला कैंट-133001 (हरियाणा), दूरभाष 0171-2630334 पर पहुंचना चाहिए।